न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलियाआर.ए.एस.
प्रकरण सं0 66 / 2023दायर दिनांकः 30.06.2023

उनवान

1. कन्याबाई आयु 75 वर्ष पत्नी स्व. मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9784719550

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णयदिनाकः20.08.2025

वादिया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91आर टी एक्टएवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 534 के ख0नं0 99 / 1810 रकबा 1.40 है० कुल 1 किता का कुल रकबा 1.40 है० आराजी वादिया के पुत्र धुलीलाल उर्फ धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक के 1 / 2 हिस्सा शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया के पुत्र खातेदार का नाम धुलीलाल पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादिया के पुत्र धूलीलाल उर्फ धनराज का लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका हैं। जिसकी एक मात्र वारिस उसकी माता वादिया स्वयं हैं। वादिया के पुत्र का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज है जो वादिया के पुत्र का सही नाम हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व ग्राम पंचायत आटोन का सरपंच प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादिया के पुत्र को विरासत में प्राप्त हुई हैं। जिसका फोती नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादिया के पुत्र का बोलता नाम

धुलीलाल पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया था जो वादिया के पुत्र का गलत नाम हैं। जबकि वादिया के पुत्र का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेजो मे दर्ज नाम धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। जो वादिया के पुत्र का सही नाम हैं। जबकि धुलीलाल पुत्र मदनलाल व धनराज पुत्र मदनलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादिया के पुत्र का गलत नाम घुलीलाल पुत्र मदनलाल दर्ज होने व सरकारी दस्तावेजो में वादिया के पुत्र का नाम धनराज पुत्र मदनलाल दर्ज होने से खातेदार के स्थान पर फोती इन्तकाल नही खुल पा रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया के पुत्र का नाम धुलीलाल पुत्र मदनलाल जाति खटीक के स्थान पर धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि वादिया के पुत्र का नाम दुरूस्त कर धुलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज नही किया गया तो फोती इन्तकाल नही खुल सकेगा। अस्तु वादिया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में धुलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करवाने कीअधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2023 को फोती इन्तकाल खुलवाने हल्का पटवारी के पास जाने पर व अन्तिम बार हल्का पटवारी द्वारा फोती इन्तकाल खोलने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद ग्रस्त आराजी व पक्षकार तहसील अटरू क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें।

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी में वादिया के पुत्र का नाम धुलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया किबिंदु संख्या 1 के क्रम में यह है कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्राम माल आटोन की खाता संख्या 534 के खसरा नम्बर 99/1810 रकबा 1.40 हे० आराजी वादीया के पुत्र धूलीलाल उर्फ धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक के 1/2 हिस्सा शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादिया के पुत्र खातेदार का नाम धूलीलाल पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज है। बिदु संख्या 2 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 3 के क्रम में यह है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट ग्राम आटोन में मजमेआम में पहुंचकर जानकारी की गई तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि धूलीलाल पुत्र मदनलाल व धनराज पुत्र मदनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादिया के पुत्र को विरासत में प्राप्त हुई है जिसका फोती नामांतरण दर्ज करवाते समय वादिया के पुत्र का बोलता नाम धूलीलाल पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया गया था जो कि गलत नाम है जबकि वास्तविक नाम वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित दस्तावेजों में दर्ज नाम धनराज पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज है जो वादिया के पुत्र का सही नाम है एवं धूलीलाल पुत्र मदनलाल एवं धनराज पुत्र मदनलाल दोनों एक ही व्यक्ति है। बिदु संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है।बिदु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 8 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 9 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 10 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

अभिभाषक वादीया की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आटोन की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–2076 के ख0नं0 99/1810 रकबा 1.40 है0 आराजी धूलीलाल व रमेशचन्द्र के दर्ज खाता स्थित है।पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन खाता संख्या 534 सम्वत 2073–2076, मृत्यु प्रमाण पत्र धनराज, शपथ पत्र कन्या बाई, प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प ग्राम पंचायत बमोरी रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 व ग्राम पंचायत आटोन प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 534 पुराना 522 में सहखातेदार रमेशचन्द्र पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू ने भी धुलीलाल व धनराज नाम का एक ही व्यक्ति होना स्वीकार किया है तथा आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषणव दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या नया 534पुराना 522 का खसरा नं. 99/1810 का रकबा 1.40 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.40 है0 आराजी में सहखातेदार धूलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर धनराज उर्फ धूलीलाल पुत्र मदनलाल जाति खटीक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादिया का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।विवादित आराजी आधार पर ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या नया 534 पुराना 522 का खसरा नं. 99/1810 का रकबा 1.40 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.40 है0आराजी में सहखातेदार धूलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर धनराज उर्फ धूलीलाल पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 66/2023 दायर दिनांकः 30.06.2023

उनवान

1. कन्याबाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व. मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो. नं. 9784719550

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी आधार पर ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या नया 534 पुराना 522 का खसरा नं. 99/1810 का रकबा 1.40 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.40 है0 आराजी में सहखातेदार धूलीलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर धनराज उर्फ धूलीलालपुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ґ..................... मुबालिक ....ґ............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ґ.............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ґ......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.08.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)